इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

छात्रावास विवरण-पुस्तिका 2019-2020

इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)

छात्रावास प्रवेश सूची

छात्रावास फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से संबंधित सूची

पहली सूची में महाविद्यालय में प्रविष्ट छात्राओं के लिए	2 जुलाई 2019 दोपहर 12 बजे तक
दूसरी सूची में महाविद्यालय में प्रविष्ट छात्राओं के लिए	8 जुलाई 2019 दोपहर 12 बजे तक
तीसरी सूची में महाविद्यालय में प्रविष्ट छात्राओं के लिए	12 जुलाई 2019 दोपहर 12 बजे तक
चौथी सूची में महाविद्यालय में प्रविष्ट छात्राओं के लिए	18 जुलाई 2019 दोपहर 12 बजे तक

चुने हुए अभ्यर्थियों की सूची प्रदर्शित करने से संबंधित तिथियाँ

छात्रावास प्रवेश	प्रवेश सूचियों का प्रदर्शन	शुल्क का ऑनलाइन भुगतान
पहली सूची	9 जुलाई 2019	9, 10, 11* जुलाई 2019
दूसरी सूची	13 जुलाई 2019	13, 14, 15* जुलाई 2019
तीसरी सूची (सीटों की उपलब्धता पर)	18 जुलाई 2019	18, 19, 20* जुलाई 2019

*** टिप्पणी** :–प्रत्येक सूची के लिए शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि पर अपराह्न 3.00 बजे तक वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे डिसेबल कर दिया जाएगा।

अन्य महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

चैक इन (छात्रावास शुल्क के भुगतान की रसीद लाना अनिवार्य है) (प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए)	18 जुलाई 2019, गुरुवार, से पूर्वाह्न 10:00 से सायं 4:00 बजे तक
महाविद्यालय ओरिएंटेशन (स्थान : महाविद्यालय का ऑडिटोरियम)	20 जुलाई 2019, शनिवार, 10:00 बजे
छात्रावास ओरिएंटेशन (स्थान : ऑडिटोरियम)	20 जुलाई 2019, शनिवार, सायं 4:00 बजे

संपर्क

कलावती गुप्ता छात्रावास छात्रावास कार्यालय	31, शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054 011–23954086
इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय महिला छात्रावास कार्यालय	22 ए, शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054
इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय प्राचार्या का कार्यालय	31, शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054 011–23962009
महाविद्यालय कार्यालय	011–23954085
महाविद्यालय कार्यालय फैक्स	011–23962009
ईमेल आईडी	ipcw@ip.du.ac.in
महाविद्यालय की वेबसाइट	www.ipcollege.ac.in
विश्वविद्यालय की वेबसाइट	www.du.ac.in

महाविद्यालय प्रशासन

प्राचार्या	डॉ. बाबली मोइत्रा सराफ
उप-प्राचार्या	डॉ. रेखा सेठी
बर्सर	सुश्री सुषमा नीना कुमार
प्रशासनिक अधिकारी	श्री दिनेश सुन्दरियाल

छात्रावास प्रशासन

वार्डन	प्रभारी, अनुशासन	
डॉ. मोनिका मधोलिया नंदी	सुश्री पौलवी दास	

सूचना का अधिकार

लोक सूचना अधिकारी
श्री दिनेश सुन्दरियाल
प्रशासनिक अधिकारी

अपील प्राधिकारी
डॉ. बाबली मोइत्रा सराफ
प्राचार्या

INDRAPRASTHA COLLEGE WOMEN'S HOSTEL UNION
presents
HOUSE OF CHANEL
The Annual Guest Night 2019

शुभकामनाएँ और इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय के छात्रावासों में आपका स्वागत है। महाविद्यालय में दो छात्रावास हैं (कुल 450 सीटों से युक्त) अर्थात् महाविद्यालय परिसर में कलावती गुप्ता छात्रावास और इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय के मुख्य परिसर के सामने सड़क के दूसरी तरफ इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय महिला छात्रावास।

आपने अभी–अभी अपने–अपने घरों से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र और सामुदायिक जीवन में अपना पहला कदम रखा है। यह स्वतंत्रता और ज़िम्मेदारी, दोनों का ही सूचक है। इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय द्वारा उदार सिद्धांतों के आधार पर छात्रावास चलाया जाता है। यहाँ निवासी छात्राओं को युवा वयस्क माना जाता है और उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील इन युवतियों की सुरक्षा का पूरा–पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ निवास करना विविधता से परिचित होना है। ऐसी विविधता जो क्षेत्र और पहचानों की विविधता मात्र नहीं अपितु निजी प्राथमिकताओं और अभिरुचियों की विविधता भी है।

छात्रावास का जीवन महाविद्यालय के परिवेश में सामुदायिक जीवन का समारोह है। छात्रावास में निवास ऐसा अनुभव है जो कभी–कभी हमें असुविधाओं का सामना करते हुए भी मज़बूत होकर बाहर निकलने और हमारी सहनशक्ति को चुनौती देने वाले समाज का सामना करने में समर्थ बनाता है। महाविद्यालय द्वारा पशु हितैषी परिसर को बढ़ावा दिया जाता है। छात्रावास परिसर में श्वान, बिल्लियों, मोर और अन्य पक्षियों से चहल–पहल रहती है।

इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय आपके बारे में है। आप इसकी दृष्टि के केंद्र में हैं। ऐसी दृष्टि जो समानता और सामंजस्य के मूल्यों का समर्थन करती है और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लक्ष्य का अनुसरण करते हुए भी पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती है। आपकी रक्षा, सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर महाविद्यालय द्वारा छात्रावास की गतिविधियों की योजना बनाई जाती है। छात्राओं के लिए अग्नि सुरक्षा और अन्य आपदा प्रबंधन ड्रिलों का आयोजन किया जाता है।

महाविद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश समर्थकारी सुविधा है, अधिकार नहीं। छात्रावास के नियमों और विनियमों से परिचित होने के लिए कृपया इस विवरण–पुस्तिका को अच्छी तरह से पढ़ लें।

मैं छात्रावास में आपके स्मरणीय और सुखद निवास की कामना करती हूँ।

प्राचार्या

छात्रावासों के विषय में

1. कलावती गुप्ता छात्रावास

युवतियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के महाविद्यालय के विजन के भाग के रूप में महाविद्यालय परिसर में 1956 में कलावती गुप्ता छात्रावास की स्थापना की गई थी। 2017 में इसे सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ नवीकृत और पुन:डिजाइन किया गया और अक्तूबर 2017 में गांधी जयंती समारोह के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया।

कलावती गुप्ता छात्रावास सेंट्रली एअरकूल्ड है और यहाँ गर्म पानी के लिए सोलर हीटर्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऊपर की मंज़िलों के लिए लिफ्ट और सीढ़ियाँ हैं। यहाँ चौबीस घंटे पावर बैक अप और जल की सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास के सभी कार्यालय भूतल पर हैं। इसी तल पर चिकित्सा कक्ष और डाइनिंग हॉल भी है। डाइनिंग हॉल का प्रयोग असेंबली हॉल के रूप में भी किया जाता है। इसका आधुनिक रसोईघर अद्यतन किचन फिटिंग्स और उपकरणों से युक्त है। छात्रावास परिसर में तीन हरे–भरे उद्यान हैं। यह छात्रावास Wi-fi समर्थित है और यहाँ सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाए गए हैं। यहाँ वॉशिंग मशीन भी लगाई गई है जिसे छात्राएँ चलाती हैं।

कलावती गुप्ता छात्रावास में बड़े सुसज्जित कक्ष हैं। एक कक्ष दो छात्राओं को आबंटित किया जाता है। प्रत्येक कक्ष में गद्दों सहित दो बैड, 2 स्टडी टेबल और कुर्सियाँ, एक बुक रैक और 2 अलमारियाँ हैं। स्टडी लाइट्स और प्लग सॉकेट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। 8 कक्षों के लिए एक प्रसाधन–कक्ष ब्लॉक है। दिव्यांग छात्राओं के कक्ष, छात्रावास प्रबंधक और मेट्रन के निवास के पास भूतल पर अवस्थित हैं। दिव्यांग छात्राओं के प्रसाधन–कक्ष का ब्लॉक विशेष रूप से दिव्यांग अभिगम के लिए तैयार किया गया है।

छात्रावास में आगंतुकों के लिए लॉबी, पुस्तकालय और मनोरंजन कक्ष और कॉमन रूम है। यहाँ सामान रखने की सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं। इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय आगंतुक निवास भी कलावती गुप्ता छात्रावास परिसर में है। प्रत्येक तल पर रेफ्रीजिरेटर, माइक्रोवेव अवन और हलका भोजन बनाने की सुविधा और बर्तन धोने के लिए सिंक की सुविधाओं से युक्त 2 छोटे रसोईघर हैं। छात्राओं के लिए हैंगआउट कबी होल्स भी हैं जिससे कि वे अपने मित्रों के साथ यहाँ विश्राम कर सकें। इसके अतिरिक्त परिसर में पशु और पक्षियों को भी देखा जा सकता है। कलावती गुप्ता छात्रावास परिसर में दो श्वान, शेर और चीता (शेरू और चीतू) हैं जिनकी छात्राएँ और स्टाफ बड़े प्रेम से देखभाल करते हैं।

कलावती गुप्ता छात्रावास में कुल 280 सीटें हैं जिनमें से प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए सीमित मात्रा में सीटें उपलब्ध हैं। छात्रावासों में आबंटन दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिमानकों के अनुसार, विदेशी छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्गों के लिए लागू आरक्षण नीति के अनुसार किया जाता है। उपलब्ध सीटें महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में वितरित की गई हैं। प्रत्येक विषय और वर्ग में योग्यता के आधार पर ही प्रवेश दिया जाता है। दिव्यांग छात्राओं को कलावती गुप्ता छात्रावास में ही कक्ष आबंटित किए जाते हैं।

2. इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय महिला छात्रावास

इन्द्रप्रस्थ छात्रावास, महाविद्यालय से सड़क के दूसरी ओर अलग परिसर में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और 2018 में इसे नवीकृत और पुनःसज्जित किया गया है।

इन्द्रप्रस्थ छात्रावास भूतल और प्रथम तल पर सेंट्रली एअरकूल्ड है और इसके दूसरे और तीसरे तलों पर 96 छात्राओं के लिए वातानुकूलित कक्ष हैं। छात्रावास में गर्म पानी के लिए सोलर हीटर्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऊपर की मंज़िलों के लिए लिफ्ट और सीढ़ियाँ हैं। यहाँ चौबीस घंटे पावर बैक अप और जल की सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास के सभी कार्यालय भूतल पर हैं। इसी तल पर चिकित्सा कक्ष, डाइनिंग हॉल, विशाल कॉमन रूम और असेंबली क्षेत्र भी हैं। यह छात्रावास Wi-fi समर्थित है और यहाँ सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाए गए हैं। यहाँ वॉशिंग मशीन भी लगाई गई है जिसे छात्राएँ चलाती हैं। प्रत्येक तल पर रेफ्रीजिरेटर, माइक्रोवेव अवन और हलका भोजन बनाने की सुविधा और बर्तन धोने के लिए सिंक की सुविधा उपलब्ध है।

इन्द्रप्रस्थ छात्रावास में बड़े सुसज्जित कक्ष हैं। एक कक्ष दो छात्राओं को आबंटित किया जाता है। प्रत्येक कक्ष में गद्दों सहित दो बैड, 2 स्टडी टेबल और कुर्सियाँ, एक बुक रैक और 2 अलमारियाँ हैं। स्टडी लाइट्स और प्लग सॉकेट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। कक्षों के प्रत्येक समूह के लिए एक प्रसाधन–कक्ष ब्लॉक है।

छात्रावास में भूतल पर आगंतुकों के लिए लॉबी है। परिसर में भवन के आसपास टहलने के लिए क्षेत्र है। इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय आगंतुक विद्वानों का निवास भी छात्रावास परिसर में है।

इन्द्रप्रस्थ छात्रावास में 170 सीटें हैं जिनमें से प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए सीमित मात्रा में सीटें उपलब्ध हैं। छात्रावासों में आबंटन दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिमानकों के अनुसार, विदेशी छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्गों के लिए लागू आरक्षण नीति के अनुसार किया जाता है। उपलब्ध सीटें महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में वितरित की गई हैं। प्रत्येक विषय और वर्ग में योग्यता के आधार पर ही प्रवेश दिया जाता है। आपदाग्रस्त, सुदूर और संघर्षरत क्षेत्रों की छात्राओं को भी छात्रावास में सीटें आबंटित की जाती हैं।

छात्रावास प्रवेश

नवप्रविष्ट छात्राओं के लिए इस वर्ष सीमित मात्रा में सीटें उपलब्ध हैं। छात्रावास में प्रवेश मात्र उन्हीं छात्राओं के लिए उपलब्ध है जिन्हें पहले से ही महाविद्यालय के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दे दिया गया है और वे दिल्ली से बाहर की हैं। रिक्त सीटें उपलब्ध होने पर ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की छात्राओं पर विचार किया जाएगा। स्थानीय छात्रा को छात्रावास सीट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

- उपलब्ध सीटें सभी विषयों में वितरित की गई हैं।
- प्रवेश, प्रत्येक विषय में योग्यता और वर्ग के आधार पर ही दिया जाएगा।
- यद्यपि छात्रा से प्राथमिकता माँगी जाती है तथापि महाविद्यालय के पास उपलब्धता के आधार पर किसी भी छात्रा को, किसी भी छात्रावास में सीट आबंटित करने का अधिकार आरक्षित है
- दिव्यांग छात्राओं को कलावती गुप्ता छात्रावास में ही ठहराया जाता है।

छात्रावास प्रवेश फॉर्म भरे जाने के समय अपेक्षित दस्तावेज़ :

फॉर्म A (छात्रा के लिए)	फॉर्म B1 (पिता के लिए)	फॉर्म B2 (माता के लिए)	फॉर्म C (स्थानीय अभिभावक के लिए)
महाविद्यालय शुल्क की रसीद			
निवास का प्रमाण • आधारकार्ड / राशनकार्ड / पासपोर्ट / मतदाता पहचान–पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति • शपथ–पत्र (उपर्युक्त दस्तावेज़ों की अनुपस्थिति में)	निवास का प्रमाण • आधारकार्ड / राशनकार्ड / पासपोर्ट / मतदाता पहचान–पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति • शपथ–पत्र (उपर्युक्त दस्तावेज़ों की अनुपस्थिति में)	निवास का प्रमाण • आधारकार्ड / राशनकार्ड / पासपोर्ट / मतदाता पहचान–पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति • शपथ–पत्र (उपर्युक्त दस्तावेज़ों की अनुपस्थिति में)	निवास का प्रमाण (दिल्ली–रा.रा.क्षे. भी शामिल हैं) • आधारकार्ड / राशनकार्ड / पासपोर्ट / मतदाता पहचान–पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति • शपथ–पत्र (उपर्युक्त दस्तावेज़ों की अनुपस्थिति में)
फॉर्म A और छात्रा के पहचान–पत्र फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर चिपकाई गई अभ्यर्थी की फोटो की दो प्रतियाँ	फार्म पर चिपकाई गई एक फोटो	फार्म पर चिपकाई गई एक फोटो	फार्म पर चिपकाई गई एक फोटो
पहचान–पत्र का प्रोफार्मा हिंदी और अंग्रेज़ी में पूरी तरह से भरा हुआ			
स्वस्थता प्रमाण–पत्र (परिशिष्ट A)			

विदेशी छात्राओं के प्रवेश हेतु

- पासपोर्ट की स्वयं अभिप्रमाणित फोटो प्रति
- संबंधित दूतावास / उच्चायोग / भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् आदि जैसे किसी अन्य प्रायोजक संगठन के संपर्क अधिकारी से संबंधित विवरण
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् आदि जैसे किसी अन्य प्रायोजक संगठन से प्रायोजकता पत्र

परवर्ती सेमेस्टरों में छात्रावास में प्रवेश

परवर्ती सेमेस्टरों में प्रवेश स्वतः ही नहीं मिलेगा। इसके लिए निम्न शर्तें होंगी :

- छात्राओं ने पूर्व सेमेस्टर के सभी पेपरों की सभी परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हों।
- उनकी पूरे वर्ष में कुल मिलाकर दो तिहाई उपस्थिति हो।
- उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या कोई अन्य कार्यवाही न की गई हो।
- उनके द्वारा छात्रावास पॉलिसी, नियमों और विनियमों का उल्लंघन न किया गया हो (अगले खंड में 'नियमों' से संदर्भ ग्रहण करें)
- पुनः प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित आवेदन फॉर्म भरा जाए।
- प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रा के स्वास्थ्य से संबंधित अद्यतन जानकारी दी जाए।
- सभी प्रवेश वार्डन, और प्राचार्या के अनुमोदन से किए जाएँगे।
- खेल कोटा के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने वाली छात्राओं को खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभागिता, और संबंधित खेल गतिविधि में उपस्थिति से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे।
- **शैक्षणिक सत्र में छात्रावास में तीन दिन से अधिक विलंब से आने वाली छात्राओं का कक्ष, प्रतीक्षा सूची में आने वाली छात्रा को दे दिया जाएगा।**

नियम

सामान्य अनुशासन

1. **किसी भी रूप में रैगिंग का निषेध है**
2. मद्यपान, ड्रग्स और तंबाकू का सेवन निषेध है। इन गतिविधियों में संलग्न छात्राओं और उन छात्राओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो ऐसे स्थानों पर उपस्थित रही हैं जहाँ ऐसी गतिविधियाँ चल रही हों।
3. माता–पिता/स्थानीय अभिभावक/साथी छात्राओं के जाली हस्ताक्षर करने वाली निवासी छात्राओं के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
4. निवासी छात्राओं को किसी भी प्रकार के पूर्णकालिक/अल्पकालिक रोज़गार या महाविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी पाठ्यक्रम के लिए नामांकन करवाने की अनुमति नहीं है।
5. **प्राचार्या को पूर्व सूचना देकर और उनकी अनुमति से छात्राएँ अपनी कक्षाओं के समय और विभाग/महाविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद, कोचिंग कक्षाओं के लिए जा सकती हैं। इन छात्राओं की सुरक्षा के लिए महाविद्यालय ज़िम्मेदार नहीं होगा।**
6. किसी भी प्रकार की तोड़–फोड़/प्रसाधन कक्षों/सार्वजनिक स्थान को गंदा करने/चाबियों (कक्षों/आलमारी की) और तालों आदि के खो जाने पर वैयक्तिक/सामूहिक जुर्माना लगाया जाएगा जिसमें अवधान राशि से वसूली भी शामिल है और उसके बाद यदि आवश्यक समझा जाएगा तो अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
7. तोड़फोड़ और अनुशासन भंग करने से हुए नुकसान की भरपाई छात्राओं द्वारा वैयक्तिक या सामूहिक रूप से की जाएगी, और इसमें अवधान राशि ज़ब्त किया जाना भी शामिल है।
8. निवासी छात्राओं को छात्रावास फोटो पहचान–पत्र दिए जाएंगे। छात्रावास में प्रवेश करने के लिए गार्ड को यह पहचान–पत्र दिखाना होगा। निवासी छात्राओं को यह कार्ड सदैव अपने पास रखना होगा।
9. निवासी छात्राओं को बायोमेट्रिक में छात्रावास में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
10. छात्रावास फोटो पहचान–पत्र के खो जाने पर रु. 250/– का प्रभार लगाया जाएगा।
11. निवासी छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे साझा कार्यस्थल, भोजन कक्ष, अतिथि कक्ष और छात्रावास के अन्य सामान्य स्थलों पर उपयुक्त परिधान धारण करेंगी।
12. निवासी छात्राओं को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने कक्षों में बहुमूल्य आभूषण या वस्तुएँ न लाएँ या अधिक धनराशि न रखें। किसी भी प्रकार के नुकसान/चोरी के लिए छात्रावास के प्राधिकारी ज़िम्मेदार नहीं होंगे।
13. सभी निवासी छात्राओं को छात्रावास में समय–समय पर चलाई जाने वाली सुरक्षा ड्रिल में भाग लेना होगा।

छात्रावास उपस्थिति नियम

1. निवासी छात्राएँ प्रत्येक सेमेस्टर के पहले और अंतिम दिन छात्रावास में उपस्थित रहें।
2. छात्राओं के लिए न्यूनतम अपेक्षित उपस्थिति (75 प्रतिशत) बनाए रखना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर परवर्ती सेमेस्टरों में छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यों में उपस्थिति आवश्यक है।
3. सभी निवासी छात्राएँ, यदि वे अनुमोदित अवकाश पर नहीं हैं, रात्रि 8.00 बजे तक छात्रावास में उपस्थित हों और बायोमेट्रिक में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। किसी भी निवासी छात्रा को वैध पूर्व अनुमति के बिना रात्रि 8.00 बजे के बाद छात्रावास से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं है। रात्रि 8.00 बजे के बाद कोई कारण बताए बिना अनुपस्थिति या अप्राधिकृत अनुपस्थिति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
4. रात्रि 11.00 बजे तक छात्रावास में भोजन की डिलीवरी किए जाने की अनुमति है।
5. कलावती गुप्ता छात्रावास की निवासी छात्राओं को रात्रि 11.00 बजे तक **महाविद्यालय के अहाते में ही** टहलने की अनुमति है। अन्य स्थानों में घूमने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
6. इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय महिला छात्रावास की छात्राओं को रात्रि 11.00 बजे तक छात्रावास परिसर में टहलने की अनुमति है।

छात्रावास से अवकाश

निवासी छात्राएँ निम्न प्रकार के अवकाश ले सकती हैं :

स्थानीय अभिभावक से मिलने के लिए अवकाश	सप्ताहांत (शनिवार और रविवार); राजपत्रित अवकाश और कार्य दिवसों पर माह में चार बार
लेट नाइट लीव (रात्रि 10.30 बजे तक)	सप्ताहांत (शनिवार और रविवार); राजपत्रित अवकाश और कार्य दिवसों पर माह में चार बार
गृह अवकाश	अंतराल के दौरान/विशेष प्रयोजन हेतु
डे स्कॉलर लीव	पूर्व अनुमोदन से वैध कारणों के लिए

अनुमोदित लेट नाइट लीव को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में बदलने का कोई प्रावधान नहीं है।

अवकाश के लिए आवेदन कैसे करें

1. **माता–पिता द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी निवासी छात्रा को एक शैक्षणिक वर्ष में दो सप्ताह तक** डे स्कॉलर स्तर के अवकाश की अनुमति दी जाएगी।
2. किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में **कम से कम 24 घंटे पहले** आवेदन करना होगा। वार्डन द्वारा अवकाश स्वीकृत किए जाने पर ही निवासी छात्राएँ अवकाश पर जा सकती हैं। गृह अवकाश/विशेष प्रयोजन हेतु अवकाश पर जाने की स्थिति में माता–पिता द्वारा पहले अनुरोध पत्र भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार के अनुरोध के लिए **माता–पिता/स्थानीय अभिभावक की घोषित ईमेल आईडी** ही वैध होगी।

3. किसी भी प्रकार के अवकाश पर जाने से पहले और छुट्टी से वापस आने पर निवासी छात्राओं को **उपयुक्त रजिस्टर (लेट नाइट लीव/स्थानीय अभिभावक से मिलने के लिए अवकाश/गृह अवकाश)** पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि कोई छात्रा उपयुक्त रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए बिना छात्रावास छोड़ती है या छात्रावास में वापस आती है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
4. यदि कोई छात्रा 'लेट नाइट लीव' अथवा किसी अन्य प्रकार की ओवरनाइट लीव लेने के बाद हस्ताक्षर नहीं करती तो उसे छात्रावास से अनुपस्थित माना जाएगा और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
5. प्रत्येक छात्रा को सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत कराने हेतु अवकाश–पुस्तिका दी जाएगी। अवकाश–पुस्तिका के खो जाने की स्थिति में रु. 200/– का प्रभार लगाया जाएगा।
6. किसी भी आवेदित और स्वीकृत अवकाश की प्रविष्टि अवकाश–पुस्तिका में की जाएगी जिस पर माता–पिता/स्थानीय अभिभावक हस्ताक्षर करेंगे और छात्रावास प्रबंधक/वार्डन प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
7. स्थानीय अभिभावक से अपेक्षा की जाती है कि वह महाविद्यालय को उपलब्ध करवाए गए फोन नं. पर उपलब्ध होंगे तथा माता–पिता और स्थानीय अभिभावक के संपर्क संबंधी ब्यौरे में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय को तत्काल दी जाए।
8. **निवासी छात्रा के छात्रावास से बाहर निकलने के पश्चात् वह कहाँ है इसके लिए और उसकी सुरक्षा के लिए महाविद्यालय/छात्रावास ज़िम्मेदार नहीं होगा।**

छात्रावास ख़ाली करना

1. **मई–जून में अपनी सेमेस्टर परीक्षा की समाप्ति के अगले दिन छात्राओं को छात्रावास ख़ाली करना होगा। क्योंकि शैक्षणिक कैलेंडर और परीक्षा की समय–सारणी काफी पहले अधिसूचित कर दी जाती है अतः छात्राओं को यह सलाह दी जाती है कि जैसे ही उनकी परीक्षा अनुसूची अधिसूचित कर दी जाती है वैसे ही वे अपने यात्रा टिकट बुक करवा लें। परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी भी परिस्थिति में उन्हें छात्रावास में रहने की अनमुति नहीं दी जाएगी।**
2. अपने गृहनगर के लिए टिकट बुक करवाने के बाद छात्राएँ कक्ष ख़ाली करने की तिथि और समय की सूचना छात्रावास की वार्डन/प्रबंधक/मेट्रन को अवश्य दें।
3. **अवकाश के दौरान जब छात्रावास बंद रहता है, महाविद्यालय किसी भी छात्रा को ठहराने की स्थिति में नहीं है, और ऐसी सभी छात्राओं को अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।**
4. **प्रत्येक अंतराल के बाद कक्ष ख़ाली करते समय छात्राएँ यह सुनिश्चित कर लें कि कक्ष पूरे सामान के साथ सौंपा गया है। चाबी, ताला, आदि खो जाने की स्थिति में उनकी अवधान राशि में से इसकी कटौती की जाएगी।**

5. **दिल्ली केंद्रों में प्रवेश परीक्षाओं में बैठने वाली छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्थानीय अभिभावक को सूचित करें और/या अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करें, क्योंकि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के समाप्त होते ही छात्रावास बंद हो जाएगा।**

कक्ष

- निवासी छात्रा, उसे उपलब्ध करवाए गए कक्ष और उसके फर्नीचर (ताले और सिटकिनी सहित) की देखभाल और रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार होगी। छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने–अपने कक्षों और आसपास के स्थान को सुव्यवस्थित रखेंगी और दीवारों को गंदा नहीं करेंगी। दीवारों और आलमारियों पर अतिरिक्त कीलें/तस्वीरें नहीं लगाई जाएँगी।
- तोड़फोड़ के किसी भी कृत्य पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं को परामर्श दिया जाता है कि वे छात्रावास में अपने निवास के दौरान किसी भी समय कक्ष ख़ाली करते समय फर्नीचर की मूल व्यवस्था को बनाए रखेंगी। कक्ष को छोड़ते समय छात्राएँ उसे साफ–सुथरा और व्यवस्थित छोड़ें और बेकार सामग्री का निपटान करें।
- महाविद्यालय/छात्रावास के प्राधिकारियों द्वारा किसी भी समय कक्षों का निरीक्षण किया जा सकता है।
- कक्षों से बाहर निकलते समय लाइट, ए.सी और पंखे बंद कर दिए जाएँ।
- छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कक्षों और गलियारों में शांति बनाए रखेंगी। प्रत्येक छात्रा को रात्रि 11.00 बजे तक अपने कक्ष में पहुँच जाना चाहिए और उसके बाद शांति बनाए रखनी चाहिए।
- कक्ष के अंदर भोजन पकाने और इस्त्री करने की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार के बिजली के उपकरण (जैसे कि रूम हीटर, कूलर, इस्त्री, बिजली की केतली आदि) का प्रयोग निषेध है।

निवासी छात्राओं को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में संलग्न न हों जिससे उनके कमरे में रहने वाली दूसरी छात्राओं या अन्य छात्राओं को परेशानी हो।

भोजनालय

- भोजन के समय का सख़्ती से पालन किया जाए। निर्धारित समय के पहले या बाद में भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
- भोजन की बर्बादी का पूरी तरह से निषेध है। ऐसा करने पर एक बार के भोजन के हिसाब से न्यूनतम रु. 300/– का जुर्माना लगाया जाएगा।
- विशेष परिस्थितियों में ही पैक्ड लंच की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए छात्रावास प्रबंधक से पहले अनुरोध करना होगा।
- जो निवासी छात्राएँ बाहर भोजन करना चाहती हैं उन्हें इस प्रयोजन हेतु रखे गए रजिस्टर में 24 घंटे पूर्व प्रविष्टि करनी होगी।

- निवासी छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भोजन कक्ष में ही भोजन करेंगी। छात्रावास प्रबंधक की पूर्व अनुमति से ही बीमार छात्राएँ अपने कक्ष में भोजन कर सकती हैं।
- निवासी छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भोजन करने के बाद अपने–अपने स्थान को साफ करेंगी।

कॉमन रूम

- कॉमन रूम विशेष रूप से छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के उपयोग के लिए है।
- रात्रि 11.00 बजे टी.वी. बंद कर दिया जाएगा और कॉमन रूम में ताला लगा दिया जाएगा।
- कॉमन रूम का फर्नीचर छात्रावास के किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर रु. 200 का जुर्माना लगाया जाएगा।
- सभी सामान्य क्षेत्रों (गलियारों सहित) को साफ–सुथरा रखा जाए। इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

चिकित्सा

- निवासी छात्रा में सामुदायिक जीवन के अनुकूल बनने की क्षमता होनी चाहिए।
- किसी भी दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित छात्रा को घर पर देखभाल किए जाने का परामर्श दिया जाता है।
- निवासी छात्राओं को आवश्यक टीके लगे हुए हों।
- किसी भी मुख्य या गौण बीमारी की सूचना अधिकारियों को तत्काल दी जाए।
- छात्रावास में निवास के दौरान छात्राओं के पास अपना पूरा मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए।
- चिकित्सा संबंधी किसी आपात स्थिति में छात्रा को निकटतम उपलब्ध चिकित्सा सेवा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिसका ख़र्च छात्रा द्वारा वहन किया जाएगा। इसके बाद तत्काल स्थानीय अभिभावक/माता–पिता रोगी को अपने संरक्षण में लेंगे।

विदेशी छात्राएँ

- छात्रावास के सभी नियम विदेशी छात्राओं पर भी लागू होते हैं।
- जहाँ कोई स्थानीय अभिभावक नहीं है वहाँ आपात स्थिति (रोगी को अस्पताल में दाखिल किए जाने जैसी स्थितियों सहित) में संबंधित दूतावास/उच्चायोग से संपर्क किया जाएगा।
- ग्रीष्मावकाश के दौरान महाविद्यालय किसी भी विदेशी छात्रा को ठहराने की स्थिति में नहीं होगा।

अतिथि

निवासी छात्राएँ सभी दिवसों पर सायं 4.30 से 7.30 के मध्य और रविवार तथा अन्य अवकाशों पर पूर्वाह्न 11.00 बजे से सायं 7.30 बजे के मध्य अपने अतिथियों का स्वागत कर सकती हैं।

- किसी भारी सामान को ले जाने या उसे जमा कराने की स्थिति को छोड़कर, अतिथियों को अपने वाहन महाविद्यालय के प्रवेश द्वार के बाहर खड़े करने होंगे। ऐसी स्थितियों में उन्हें महाविद्यालय/छात्रावास के गेट पोस्ट पर उपलब्ध रजिस्टर में अपने वाहन की प्रविष्टि करनी होगी।
- प्रत्येक मुलाकात के दौरान अतिथि को छात्रावास के प्रवेश–द्वार पर उपलब्ध रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- छात्राएँ अपने अतिथियों के साथ छात्रावास के प्रवेश–द्वार पर या उसके आसपास न घूमें बल्कि महाविद्यालय में बनाए गए बैठने के स्थानों/घूमने–फिरने के स्थानों की सुविधा का लाभ उठाएँ।
- मुलाकात के समय के अतिरिक्त किसी भी अतिथि को छात्रावास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अतिथि (माता–पिता सहित) को छात्रावास में किसी भी प्रकार के कैमरे या फिल्म तैयार करने वाले उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- छात्रावास प्रशासन के पास यह अधिकार आरक्षित है कि वह ऐसे किसी भी अतिथि को छात्रावास के अतिथि कक्ष में प्रवेश देने से इनकार कर दे जो अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता/पाती या जो छात्रावास में आने का वैध कारण न बता सके।
- वार्डन की पूर्व अनुमति से माताओं और बहनों को अधिकतम तीन दिवसों तक छात्रावास के अतिथि निवास में रहने की अनुमति है।
- अतिथि प्रभार (जिसका अग्रिम भुगतान किया जाए) रु. 2000/– प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है जिसमें चार समय का भोजन शामिल है।
- अतिथियों को अपना पहचान–पत्र दिखाना होगा और आगमन और प्रस्थान के समय रजिस्टर (इस प्रयोजन हेतु रखा गया) पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- अतिथि भोजन कक्ष के निर्धारित क्षेत्र में भोजन करेंगे।
- सभी अतिथियों को छात्रावास के नियमों का पालन करना होगा।
- वार्डन के पास यह अधिकार आरक्षित है कि वह पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी समय, किसी भी अतिथि को अनुमति देने से मना कर दे या उसके ठहरने की अवधि को समाप्त कर दे।

छात्रावास समिति

छात्रावास समिति, परामर्शदात्री समिति है जिसमें महाविद्यालय की कर्मचारी परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए संकाय के सदस्य होते हैं। यह समिति छात्रावास के प्रबंधन में प्राचार्या और वार्डन की सहायता करती है।

छात्रावास प्रबंधक और मेट्रन छात्रावास समिति में विशेष आमंत्रिती होंगे। छात्रावासों का निर्वाचित छात्रसंघ है जो छात्रावास समिति को छात्रावास चलाने में सहायता करता है और छात्राओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

शैक्षणिक कैलेंडर 2019-2020

सेमेस्टर I/III/V/VII	
कक्षाओं का आरंभ	20 जुलाई, 2019 (शनिवार)
सेमेस्टर के मध्य का अंतराल	7 अक्तूबर, 2019 (सोमवार) से 13 अक्तूबर, 2019 (रविवार) **टिप्पणी** : 08.10.2019 (मंगलवार) को दशहरा
सेमेस्टर के मध्य के अंतराल के बाद कक्षाओं का आरंभ	14 अक्तूबर, 2019 (सोमवार)
कक्षाओं का समापन, तैयारी के लिए अवकाश और व्यावहारिक परीक्षाओं का आरंभ	16 नवम्बर, 2019 (शनिवार)
सैद्धांतिक परीक्षाओं का आरंभ	30 नवम्बर, 2019 (शनिवार)
शीतकालीन अवकाश	17 दिसम्बर, 2019 (मंगलवार) से 31 दिसम्बर, 2019 (मंगलवार)
सेमेस्टर II/IV/VI/VIII	
कक्षाओं का आरंभ	1 जनवरी, 2020 (बुधवार)
सेमेस्टर के मध्य का अंतराल	9 मार्च, 2020 (सोमवार) से 15 मार्च, 2020 (रविवार) **टिप्पणी** : 10.03.2020 (मंगलवार) को होली
सेमेस्टर के मध्य के अंतराल के बाद कक्षाओं का आरंभ	16 मार्च, 2020 (सोमवार)
कक्षाओं का समापन, तैयारी के लिए अवकाश और व्यावहारिक परीक्षाओं का आरंभ	28 अप्रैल, 2020 (मंगलवार)
सैद्धांतिक परीक्षाओं का आरंभ	11 मई, 2020 (सोमवार)
ग्रीष्मकालीन अवकाश	26 मई, 2020 (मंगलवार) से 19 जुलाई, 2020 (रविवार)

टिप्पणी : विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए कैलेंडर का सख्ती से पालन किया जाए। छात्राओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्रदत्त कैलेंडर के अनुसार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

मई–जून 2020 में अपनी सेमेस्टर परीक्षा की समाप्ति के अगले दिन छात्राओं को छात्रावास ख़ाली करना होगा।

रखरखाव और अन्य कार्यों के लिए ग्रीष्मावकाश में छात्रावास बंद रहेगा।

छात्रावास शुल्क संरचना 2019-20

व्यय के निम्न शीर्षों के अंतर्गत शुल्क प्रभारित किया जाएगा

		प्रथम वर्ष	द्वितीय और तृतीय वर्ष
क अवधान राशि (एक बार प्रतिदेय)		8000	
फोटो पहचान–पत्र शुल्क		100	
ख वार्षिक प्रभार			
(i)	प्रवेश शुल्क	100	100
(ii)	स्थापना	15000	15000
(iii)	कक्ष प्रभार	9600	9600
(iv)	बिजली	14000	14000
(v)	पानी	5000	5000
(vi)	मरम्मत	4000	4000
(vii)	फर्नीचर और फिक्सचर	3000	3000
(viii)	रसोई उपकरण	1500	1500
(vix)	टेलीफोन	200	200
(x)	लेखन सामग्री	300	300
(xi)	टी.वी.	200	200
(xii)	उद्यान	500	500
(xiii)	आकस्मिक व्यय	1000	1000
(xiv)	छात्रावास संघ अंशदान	500	500
(xv)	छात्रावास विकास शुल्क	5000	5000
(xvi)	छात्रावास न्यूज़ लैटर	200	200
(xvii)	सतर्कता और निगरानी (अतिरिक्त सुरक्षा गार्डों के लिए)	5500	5500
(xviii)	लॉन्ड्री	3600	3600
(xix)	पठन कक्ष/पत्रिकाएँ आदि	200	200
(xx)	खेल/मनोरंजन आदि	500	500
ग भोजनालय प्रभार			
11 माह के लिए प्रतिमाह रु. 5800 के हिसाब से		63800	63800
भोजनालय का रखरखाव		14300	14300
कुल योग (क+ख+ग)		157100	**149000**

टिप्पणी : प्रति सेमेस्टर रु. 20,000/– का अतिरिक्त भुगतान किए जाने पर इन्द्रप्रस्थ छात्रावास में वातानुकूलित कक्ष भी उपलब्ध हैं।

प्रत्येक सेमेस्टर के आरंभ में भुगतान किया जाने वाला शुल्क निम्नवत् है :

सेमेस्टर I	रु. 82,650/–
सेमेस्टर II-VI (नए प्रवेश)	रु. 82,650/–
सेमेस्टर II-VI (पुनः प्रवेश)	रु. 74,550/–

विदेशी छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश के समय 100 अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

टिप्पणी :

(क) सभी निवासी छात्राओं से 11 माह का भोजनालय शुल्क लिया जाएगा। विलंब से भुगतान करने पर प्रतिदिन के हिसाब से रु. 50/– का जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) अधिसूचित अनुसूची के अनुसार महाविद्यालय की वेबसाइट http://www.ipcollege.ac.in पर शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाए।

(ग) महाविद्यालय के पास किसी भी समय शुल्क को बढ़ाने का अधिकार आरक्षित है, यदि यह आवश्यक समझा जाता है।

(घ) छात्रा ने जिस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है या छात्रावास खाली किया है उस वित्तीय वर्ष के मार्च माह की 31 तारीख तक अवधान राशि/प्रतिभूति जमा राशि प्रतिदेय है।

छात्रावास शुल्क की वापसी

यदि कोई छात्रा छात्रावास में प्रवेश लेने के तीन दिन के भीतर छात्रावास खाली कर देती है तो पूरा वार्षिक शुल्क (प्रवेश शुल्क को छोड़कर) वापस कर दिया जाएगा। यदि वह इसके बाद, किन्तु 31 जुलाई से पहले, छात्रावास ख़ाली करती है तो रु. 1,000/– की कटौती की जाएगी। वार्षिक शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ; मात्र भोजनालय प्रभार और अवधान राशि ही वापस की जाएगी।

छात्रा को छात्रावास से वापस लेने के लिए, प्राचार्या को संबोधित और माता–पिता द्वारा हस्ताक्षरित तथा वार्डन द्वारा अग्रेषित औपचारिक आवेदन के आधार पर धन की वापसी ऑनलाइन की जाएगी। छात्रावास शुल्क के भुगतान के समय निवासी छात्रा द्वारा ऑनलाइन लेनदेन हेतु अपने बैंक से संबंधित विवरण उपलब्ध करवाया जाए।

रैगिंग विरोधी अध्यादेश

वेबसाइट : http://www.antiragging.in/www.amanmovement.org पर रैगिंग विरोधी ऑनलाइन शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा रैगिंग के मामलों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। रैगिंग करने वाली छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश XV-C को उद्धृत किया जा रहा है।

रैगिंग का निषेध और रैगिंग करने पर सज़ा

1. महाविद्यालय/विभाग या संस्था और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के किसी भी भाग और साथ ही सार्वजनिक परिवहन में किसी भी रूप में रैगिंग निषेध है।

2. रैगिंग का कोई भी वैयक्तिक या सामूहिक कृत्य या रैगिंग करना, साधारणतः घोर अनुशासनहीनता है और उस पर इस अध्यादेश के अन्तर्गत कार्रवाई की जाए।

3. इस अध्यादेश के प्रयोजन हेतु रैगिंग का अर्थ है–साधारणतया ऐसा कृत्य, आचरण या व्यवहार जिसके द्वारा वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा नवागंतुक विद्यार्थियों या उन विद्यार्थियों, जिन्हें अन्य विद्यार्थियों द्वारा कनिष्ठ या कमतर माना जाता है, पर अपनी शक्ति या स्तर का प्रयोग किया जाता है और इसमें ऐसे वैयक्तिक या सामूहिक कृत्य या व्यवहार शामिल हैं जिसमें –

   (क) शारीरिक हमला या शारीरिक बल का प्रयोग ;

   (ख) विद्यार्थियों के स्तर, गरिमा और सम्मान को ठेस पहुँचाना ;

   (ग) अनुसूचित जाति और जनजातियों के विद्यार्थियों के स्तर, गरिमा और सम्मान को ठेस पहुँचाना;

   (घ) विद्यार्थियों का मज़ाक उड़ाना और उनका अपमान करना और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना ;

   (ङ) गाली देना और आक्रामकता दिखाना, अभद्र इशारे करना और अश्लील व्यवहार – शामिल हैं।

4. किसी महाविद्यालय के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष या कोई संस्था, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय छात्रावास और हॉल्स ऑफ रेज़िडेंस के प्राधिकारी, रैगिंग किए जाने की किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें।

5. उपर्युक्त खंड (4) में कुछ होते हुए भी, प्रॉक्टर द्वारा रैगिंग की किसी भी घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जाँच की जाए और रैगिंग में शामिल व्यक्तियों की पहचान और घटना की प्रकृति के विषय में कुलपति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

6. प्रॉक्टर द्वारा रैगिंग के दोषी व्यक्तियों की पहचान और घटना की प्रकृति के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।

7. यदि महाविद्यालय के प्राचार्य या विभागाध्यक्ष या संस्था या प्रॉक्टर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी कारण (जिसे लेखबद्ध किया जाए) से यह व्यावहारिक नहीं होगा कि इस प्रकार की जाँच की जाए, तो उनके द्वारा कुलपति को तदनुसार यह परामर्श दिया जाए।

8. यदि कुलपति संतुष्ट हो जाती/जाते हैं कि ऐसी जाँच करना उचित नहीं है तो उनका निर्णय अंतिम होगा।

9. खंड (5) और (6) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर या संबंधित अधिकारी द्वारा खंड (7) द्वारा अवधारण करने पर खंड (3), (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित रैगिंग की घटना को बताते हुए, कुलपति निर्धारित वर्षों के लिए किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को निष्कासित करने का निदेश या आदेश दे सकते/सकती हैं।

10. रैगिंग के अन्य मामलों में कुलपति यह आदेश या निदेश दे सकते हैं कि किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को निष्कासित कर दिया जाए या घोषित अवधि के लिए, महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रवेश न दिया जाए, एक या अधिक वर्ष के लिए विभागीय परीक्षा में बैठने न दिया जाए या ऐसे विद्यार्थी/विद्यार्थियों के उस परीक्षा/उन परीक्षाओं के परिणाम रद्द कर दिए जाएँ, जो उन्होंने दी हैं।

11. यदि दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त विद्यार्थी रैगिंग के दोषी पाए जाते हैं तो इस अध्यादेश के अधीन संविधि 15 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री वापस लेने के लिए उपयुक्त कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

12. इस अध्यादेश के प्रयोजन हेतु, किसी कृत्य, व्यवहार द्वारा रैगिंग करने के लिए उकसाना भी रैगिंग ही माना जाएगा।

13. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएँ इस अध्यादेश के अंतर्गत जारी किए गए अनुदेशों/निदेशों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। वे इस अध्यादेश के प्रभावी कार्यान्वयन में कुलपति की सहायता करेंगी।

14. निम्न वेबसाइट्स पर रैगिंग विरोधी वचनबंध भरना अनिवार्य है:
http://www.antiragging.in
http://www.amanmovement.org

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015

आंतरिक शिकायतें समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय के निदेशों के अनुसार महाविद्यालय में आंतरिक शिकायतें समिति निम्नवत् गठित की गई है :

1. डॉ. मीना भार्गव, पीठासीन अधिकारी
2. डॉ. सुरभिका माहेश्वरी, शिक्षक सदस्य
3. समन्वयक, विमेंस डेवलपमेंट सेल
4. सुश्री गौरी किरौला, ग़ैर शैक्षणिक सदस्य
4. श्री राजेन्द्र भट्ट, ग़ैर शैक्षणिक सदस्य
5. सुश्री मधुबाला, सदस्य, ग़ैरसरकारी संगठन
7. अध्यक्ष, छात्रसंघ, छात्र सदस्य
8. अध्यक्ष, छात्रावास संघ, छात्र सदस्य
9. अध्यक्ष, विमेंस डेवलपमेंट सेल, छात्र सदस्य

धूम्रपान मुक्त क्षेत्र से संबधित घोषणा

दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली पुलिस और वर्ल्ड लंग फाउंडेशन–साउथ एशिया के साथ तंबाकू मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है। इसी के अनुसरण में हमारे महाविद्यालय में धूम्रपान निषेध है।

HANEL
Night 2019

CHEETU
CHERU

मूल्य : रु. 250/-